राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01673/2023

डॉ. हीरा लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 04.07.2023

आदेश की दिनांक : 24.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तरूण जैमन, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में निलंबन आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 315/2022 में दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 12.08.2022 को रंगे हाथ गिरफतार किये जाने का हवाला है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किये जाने के आदेश प्रदान किए गए है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निलंबन करने का आदेश पारित हुए करीब 11 माह का समय हो चुका है परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने इस प्रकरण में विभागीय जांच के संबंध में कोई चार्जशीट अपीलार्थी को नहीं दी है अतः निलम्बन रखा जाना उचित नहीं है।

अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया । बहस के दौरान हमारे द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक ए–1 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैः–

'' ए–1 किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वज्ञरा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों रिगफतार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य माामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित

लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जाये। लोककसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा समक्ष न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकरन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।''

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा राज्य सरकार के परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी अपने मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गहनता से विचार कर नियमानुसार उचित निर्णय ले एवं अपीलार्थी को सूचित करें।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य